



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022025-260779  
CG-DL-E-07022025-260779

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 4, 2025/माघ 15, 1946

No. 79]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4, 2025/MAGHA 15, 1946

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2025

**सा.का.नि. 112(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कनिष्ठ सचिवालय सहायक, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियम, 2018 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐस अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर प्रोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कनिष्ठ सचिवालय सहायक, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियम, 2025 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषा. - इन नियमों में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
  - “नियुक्ति प्राधिकारी” से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भारत सरकार का निदेशक या उपसचिव (कार्मिक) अभिप्रेत है;
  - “उपलब्ध रिक्ति” से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में कनिष्ठ सचिवालय सहायक ग्रेड के पद की ऐसी रिक्ति अभिप्रेत है जो परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जानी अपेक्षित है;

- (ग) “निर्णायक तारीख” से रिक्ति वर्ष की जनवरी मास के पहली तारीख जिसमें ऐसी परीक्षा आयोजित की जाती है, अभिप्रेत है;
- (घ) “परीक्षा” से इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में आयोजित कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर प्रोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है;
- (ङ.) “भर्ती वर्ष” से एक जनवरी से प्रारम्भ होने वाली और उसी वर्ष के दिसम्बर मास की 31 तारीख को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है;
- (च) “अनुसूची” से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
- (छ) “अनुसूचित जाति” और “अनुसूचित जनजाति” के वही अर्थ होंगे जो उनके भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खंड (24) और खंड (25) में हैं।

3. पात्रता की शर्तें. - (1) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.) के स्तर-1 में ऐसे बहुकर्मचारिवृन्द, जो निर्णायक तारीख को निम्नलिखित शर्त पूरी करते हैं, सीमित विभाग के प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे, -

- (i) जिन्होंने उस वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 में तीन वर्ष की कुल नियमित सेवा पूरी कर ली है;
- (ii) परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में 50 वर्ष) है;
- (iii) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो;
- (iv) पात्र अधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिश्चित सुसंगत फील्ड या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

(2) पुनरीक्षित नियमों के अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर फीडर पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता वैसी ही बनी रहेगी।

4. परीक्षा का आयोजन. - (1) नियुक्ति प्राधिकारी परीक्षा की घोषणा करते समय परीक्षा की तारीख और स्थान तथा निर्धारित की गई उपलब्ध और प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या अधिसूचित करेगा। परीक्षा, अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में रिक्तियों को अधिसूचित करने की तारीख से कम से कम 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् आयोजित की जाएगी।

(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या उक्त अधिसूचना में स्पष्टतः उपदर्शित की जाएगी।

5. परिणाम. - (1) परीक्षा के भाग 1 और भाग 2 में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर, योग्यता के क्रम में अभ्यर्थियों के नामों की एक योग्यता सूची, भर्ती वर्ष में होने वाली रिक्तियों और प्रत्याशित रिक्तियों, यदि कोई हों, की संख्या को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचित की जाएगी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए मूल्यांकन के मानक समय-समय पर जारी सरकारी अनुदेशों के अनुसार होंगे।

(2) उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों पर उसी क्रम से विचार किया जाएगा जिसमें उनके नाम उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई योग्यता सूची में आते हैं।

(3) योग्यता सूची अधिसूचित रिक्तियों के भरे जाने तक या नियुक्त प्राधिकारी द्वारा उसके अनुमोदन की तारीख के 18 मास की अवधि तक या उस समय तक प्रवृत्त रहेगी जब तक अगली योग्यता सूची को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

6. नियुक्ति. - किसी अभ्यर्थी का नाम योग्यता सूची में सम्मिलित किए जाने से ही उसे कोई नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा और अभ्यर्थी, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वयं का यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई सतर्कता या कोई आनुशासनिक मामला लंबित या अनुध्यात नहीं है और योग्यता सूची में उसके नाम, पदों के आरक्षण या ऐसी अन्य अपेक्षाओं पर विचार करने के पश्चात् नियुक्त किया जाएगा जो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर कानूनी आदेशों या नियमों द्वारा अधिकथित की जाएं।

7. टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने का दायित्व. - ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने इस परीक्षा के आधार पर कनिष्ठ सचिवालय सहायक श्रेणी में नियुक्त किया जाता है, उनकी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर कंप्यूटर पर (प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी

दबाओ, के औसत पर 10500 के केडीपीएच/9000 केडीपीएच के तत्स्थानी के लिए 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट) अंग्रेजी में प्रति मिनट 35 शब्द की न्यूनतम गति या हिन्दी में प्रति मिनट 30 शब्द की न्यूनतम गति से टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी, यदि पहले नहीं हो चुकी है, जिसके न हो सकने पर उनको तब तक कोई वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी, जब तक वे उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेते या सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सुसंगत नियमों के अधीन उन्हें छूट प्रदान नहीं की जाती है। टंकण परीक्षा में दस मिनट की अवधि की सतत पाठ्य सामग्री होगी।

8. पद त्याग, आदि पर योग्यता सूची में नाम का हटाया जाना. - (1) किसी ऐसे अभ्यर्थी की दशा में, जो परीक्षा में बैठने के पश्चात् अपनी सेवा से पद त्याग करता है या जिसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है या जिसे किसी काडर बाह्य पद पर या किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया जाता है और जिसका नियम 3 में वर्णित पदों में से किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है उसका नाम योग्यता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा या यदि उक्त योग्यता सूची में सम्मिलित है तो उससे उसका नाम काट दिया जाएगा।

(2) जहां कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम उक्त योग्यता सूची में सम्मिलित है, किसी बाह्य पद पर नियुक्त किया जाता है या नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति से केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में स्थानांतरित किया जाता है और नियम 3 में वर्णित किसी पद पर उसका धारणाधिकार बना रहता है, वहां उसे कनिष्ठ सचिवालय सहायक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह योग्यता सूची के प्रवृत्त रहने की अवधि के दौरान अपने मूल पद पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अपना कार्य पुनः प्रारम्भ नहीं करता है।

परंतु यह कि प्रोफार्मा प्रोन्नति के लिए उसके दावे पर विचार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए केन्द्रीय सरकार के आदेशों और नियमों के अनुसार विचार किया जा सकेगा।

9. प्रतिरूपण या अन्य अवचार के लिए शास्ति. - कोई ऐसा अभ्यर्थी, जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित का दोषी घोषित किया जाता है या दोषी घोषित किया गया है -

- (i) अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं साधनों द्वारा समर्थन प्राप्त करना; या
- (ii) प्रतिरूपण; या
- (iii) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण कराना ; या
- (iv) गढ़े हुए दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करना, जिसमें छेड़छाड़ की गई हो ; या
- (v) ऐसे कथन करना, जो गलत हैं या मिथ्या हैं या तात्विक जानकारी को छुपाते हैं ; या
- (vi) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के सम्बन्ध में कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेना ;
- (vii) परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करना ;
- (viii) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना ; या
- (ix) खंड (i) और खंड (viii) में विनिर्दिष्ट सभी या कोई अन्य कार्य, यथास्थिति, करने का प्रयत्न करना या करने के लिए दुष्प्रेरित करना ;

दांडिक कार्यवाहियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित कार्यवाहियों के दायित्वाधीन हो सकेगा -

- (क) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा से निरर्हित किया जाना ; या
- (ख) समुचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई करना। परंतु यह कि इस नियम के अधीन निम्नलिखित के सिवाय कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी :-
  - (i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन देने के लिए अवसर प्रदान किया जाना जिसे वह इस आधार पर करना चाहता है ; और
  - (ii) किसी अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन को उसके द्वारा जारी की गई अवधि के भीतर विचार किया जाना।

10. शिथिल करने की शक्ति. - जहां नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों के प्रवर्तन में व्यक्तियों या पदों के किसी वर्ग को कोई अनुचित कठिनाई होती है तो उसे नियम की अपेक्षा से उस विस्तार तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह आवश्यक समझे, अभिमुक्त कर सकेगा या छूट दे सकेगा।

अनुसूची  
(नियम 4 देखिए)

परीक्षा निम्नलिखित दो भागों में संचालित की जाएगी, अर्थात् :-

भाग - 1

लिखित परीक्षा में अधिकतम 200 अंक होंगे, लिखित परीक्षा का विषय, प्रत्येक पत्र के लिए आबंटित अधिकतम अंक और अनुज्ञात की गई समय-सीमा निम्नानुसार होगी, अर्थात् :-

क्र.सं .	प्रश्न पत्र	विषय	अधिकतम अंक	समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	I	(व्याख्यात्मक प्रकार) लघु निबंध (हिन्दी या अंग्रेजी)	100	2 घंटे
2.	II	(वैकल्पिक प्रकार) भाषा (सामान्य अंग्रेजी या सामान्य हिंदी) (50 प्रश्न)-50 अंक। सामान्य ज्ञान (50 प्रश्न)-50 अंक	100	2 घंटे

2. परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम :

जहां नियम, आदेश, निर्देश आदि का ज्ञान अपेक्षित है, वहां अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख तक जारी किए गए संशोधनों से अभिज्ञ हों।

प्रश्न पत्र-I

400-500 शब्दों का एक निबंध कई निर्दिष्ट विषयों में से किसी एक पर लिखा जाना है

प्रश्न पत्र-II

अभ्यर्थियों का परीक्षण सरल वाक्य रचना और व्यावहारिक व्याकरण, सामयिक घटनाओं के ज्ञान और दैनिक अवलोकन और अनुभव, भारत के बारे में सामान्य जानकारी के मामलों में किया जाएगा।

3. अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र - I और प्रश्न पत्र - II पर या तो अंग्रेजी में या हिंदी में उत्तर देने का विकल्प दिया जाता है।

टिप्पण 1.- विकल्प एक पूर्ण पत्र के लिए होगा, न कि एक ही पत्र में अलग-अलग प्रश्न के लिए।

टिप्पण 2.- हिंदी (देवनागरी) या अंग्रेजी में पूर्वोक्त पत्र का उत्तर देने के विकल्प का प्रयोग करने के इच्छुक अभ्यर्थी से आवेदन प्ररूप में स्पष्ट रूप से संकेत देना चाहिए, अन्यथा, यह अवधारणा की जाएगी कि वे अंग्रेजी में पत्र का उत्तर देंगे।

टिप्पण 3.- एक बार उपयोग किए गए विकल्प को अंतिम माना जाएगा और बाद में परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा चुने गए किसी अन्य भाषा से भिन्न भाषा में परीक्षा के लिए कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा।

टिप्पण 4.- हिंदी (देवनागरी) में पत्र का उत्तर देने के विकल्प का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी हिंदी संस्करण के अलावा तकनीकी शर्तों के विवरण के ब्रैकेट के भीतर अंग्रेजी संस्करण दे सकते हैं।

4. गलत उत्तरों के लिए शास्ति (वैकल्पिक प्रकार के पत्रों में)

वैकल्पिक प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा चिन्हित किए गए गलत उत्तर के लिए शास्ति (नकारात्मक चिन्हांकन) होगी :

(i) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा एक गलत उत्तर दिया गया है, उस प्रश्न को दिए गए अंकों का एक चौथाई (0.25) शास्ति के रूप में काटा जाएगा।

(ii) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो उसे गलत उत्तर के रूप में माना जाएगा, भले ही दिए गए उत्तरों में से कोई एक उत्तर सही हो और उस प्रश्न के लिए ऊपर जैसी ही शास्ति होगी।

(iii) यदि कोई प्रश्न खाली छोड़ दिया गया है अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है तो उस प्रश्न के लिए कोई शास्ति नहीं होगी।

5. भाग 1 में दो विषयों में से प्रत्येक विषय में न्यूनतम अर्हता अंक 35 प्रतिशत होने चाहिए और कुल अंक 45 प्रतिशत होने चाहिए।

6. केवल अल्पज्ञ ज्ञान के लिए अंक आबंटित नहीं किए जाएंगे।
7. वर्णनात्मक पत्र में अधिकतम अंक का 5 प्रतिशत तक की कटौती अपाठ्य हस्तलेखन के लिए की जाएगी।
8. लिखित उत्तरों में उचित शब्दों की किफायत वाले विचारों, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अभिव्यक्ति को क्रेडिट दिया जाएगा।
9. अभ्यर्थी के आवेदन की स्वीकार्यता और उसकी पात्रता या अन्यथा के सम्बन्ध में मंत्रालय का विनिश्चय परीक्षा के लिए प्रवेश करने हेतु अंतिम विनिश्चय होगा।
10. परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए सभी दो पत्रों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति आवश्यक है।

## भाग - 2

विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अभ्यर्थी की सेवा के अभिलेख का मूल्यांकन, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

1.	निदेशक (कार्मिक)/उप सचिव (कार्मिक) या उपसचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	अध्यक्ष;
2.	अवर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सदस्य; और
3.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न मंत्रालय या विभाग या संगठन से भारत सरकार के एक अवर सचिव या समतुल्य	सदस्य।

यह भाग अधिकतम 60 अंकों का होगा। अभ्यर्थियों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट का प्रोन्नति के लिए संगणना की गई सेवा अवधि हेतु संवीक्षा की जाएगी और तदनुसार विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अंक आबंटित किए जाएंगे। कार्य अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में न्यूनतम अर्हता अंक कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर प्रोन्नति के लिए विहित किए गए मानक से कम नहीं होंगे।

[फा. सं. 01(05)/2024-पी.III]

भुवनेश कुमार, अपर सचिव

**MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th January, 2025

**G.S.R. 112(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Electronics and Information Technology, Junior Secretariat Assistant, Limited Departmental Competitive Examination Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the Limited Departmental Competitive Examination for promotion to the post of Junior Secretariat Assistant in the Ministry of Electronics and Information Technology, namely: -

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Junior Secretariat Assistant, Limited Departmental Competitive Examination Rules, 2025.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definition. – In these rules unless the context otherwise requires, -
  - (a) “appointing authority” means the Director or Deputy Secretary (Personnel) to the Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology;
  - (b) “available vacancy” means a vacancy in the post of Junior Secretariat Assistant’s grade in the Ministry of Electronics and Information Technology which is required to be filled up on the basis of the results of the examination;
  - (c) “crucial date” means the first day of January of the year of the vacancies for which such examination is held;
  - (d) “examination” means the Limited Departmental Competitive Examination for promotion to the post of Junior Secretariat Assistant held in the manner specified in the Schedule;
  - (e) “recruitment year” means the period commencing from the 1st day of January and ending on the 31st day of December of the same year;
  - (f) “Schedule” means the Schedule annexed to these rules;

(g) “Scheduled Castes” and “Scheduled Tribes” shall have the meanings respectively assigned to them in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution of India.

3. Conditions of eligibility. – (1) Multi-Tasking Staff in level-1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) in the Ministry of Electronics and Information Technology who satisfy the following conditions on the crucial date shall be eligible to appear in the Limited Departmental Competitive examination:

- (i) should have rendered a total of three years regular service in that level-1 in the pay matrix;
- (ii) the maximum age-limit for eligibility for examination is forty-five years (fifty years in case of the candidate belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes).
- (iii) passed 12th Standard Examination from a recognised Board.
- (iv) the eligible officers should have successfully completed two weeks training in relevant field or area as decided from time to time.

(2) The eligibility shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules.

4. Holding of the examination. – (1) The appointing authority shall notify the dates and place of the examination and number of available and anticipated vacancies assessed at the time of announcing the examination. The examination shall be conducted after the expiry of at least thirty days from the date of notifying the vacancies in the manner specified in the Schedule.

(2) The number of vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of person, if any, shall be clearly indicated in the said notification.

5. Results. – (1) On the basis of the aggregate marks secured by the candidate in Part I and Part II of the examination, a merit list containing the names of the successful candidates in order of merit shall be notified, keeping in view the number of vacancies and anticipated vacancies, if any, falling in the recruitment year. The standards of evaluation for candidates belonging to the Schedule Castes and the Schedule Tribes shall be as per the Government instructions from time to time.

(2) The candidates for appointment against the available vacancies shall be considered in the order in which their names appear in the merit list prepared under sub-rule (1).

(3) The merit list shall remain in operation till the notified vacancies are filled up or up to a period of eighteen months from the date of its approval by the appointing authority or till next merit list is approved by the appointing authority, whichever is earlier.

6. Appointment. – The inclusion of the name of any candidate in the merit list shall not confer a right to appointment and he shall be appointed by the appointing authority only after satisfying itself that no vigilance or disciplinary case is either pending or contemplated against the candidate and after taking into account his placement in the merit list, the reservation of posts or such other requirements as may be laid down by statutory orders or rules issued by the Central Government, from time to time, in this regard.

7. Liability to pass typewriting test. – The candidates, who qualify in the written examination, shall be required to pass a test in typewriting, at a minimum speed of thirty-five words per minutes in English or thirty words per minute in Hindi only on computer (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word) within a period of one year from the date of their appointment, failing which no annual increments shall be allowed to them until they have passed the said test or exempted under the relevant rules with the approval of competent authority. The typewriting test will consist of a running matter of ten minutes duration.

8. Removal of name from merit list on resignation, etc. – (1) In case a candidate after appearing at the examination resigns from the service or whose services are terminated or who is appointed to an ex-cadre post or to any other service and does not have a lien on any of the posts mentioned in rule 3, his name shall not be included in the merit list, or if included in the said merit list shall be struck off therefrom.

(2) Where a candidate, whose name is included in the said merit list, is appointed to an ex-cadre post or is transferred to another department of the Central Government with the permission of the appointing authority and continue to have a lien on any of the posts mentioned in rule 3, shall not be appointed as Junior Secretariat Assistant till he resumes the duties in the Ministry of Electronics and Information Technology on his initial post during the period the merit list remains in force:

Provided that his claim for proforma promotion may be considered by the appointing authority in accordance with the orders and rules of the Central Government, issued in his behalf from time to time.

9. Penalty for impersonation or other misconduct. – A candidate, who is or has been declared by the appointing authority to be guilty of –

- (i) obtaining support for his candidature by any means; or
- (ii) impersonation; or
- (iii) Procuring impersonation by any person; or
- (iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or
- (v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information; or
- (vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or
- (vii) using unfair means in the examinations hall; or
- (viii) misbehaving in the examination hall; or
- (ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Ministry of all or any of the acts specified in clauses (i) to (viii);

may, in addition to the criminal proceedings, liable –

- (a) to be disqualified by the appointing authority from the examination; or
- (b) to disciplinary action, under the appropriate rules. Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after-
  - (i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and
  - (ii) taking the representation, if any submitted by the candidate within the period allowed to him, into consideration.

10. Power to relax. – Where the Appointing Authority is satisfied that the operation of any of these rules causes undue hardship in any class or category of persons or posts, it may dispense with or relax the requirement of the rule to such extent and subject to such conditions, as it may consider necessary.

Schedule  
(See rule 4)

The examination shall be conducted in the following two parts, namely: -

Part-I

1. Written examination shall carry a maximum of 200 marks. The subject of the written examination, the maximum marks allotted to each paper and the time limit allowed shall be as follows, namely: -

Sl. No.	Paper	Subject	Maximum Marks	Time
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	I	(Descriptive Type) Short Essay (Hindi or English)	100	2 hours

2.	II	(Objective Type) Language (General English or Saamanya Hindi) (50 questions)-50 marks. General Knowledge (50 questions)-50 marks.	100	2 hours
----	----	--	-----	---------

2. Syllabus for examination:

WHERE KNOWLEDGE OF THE RULES, ORDERS, INSTRUCTIONS ETC. IS REQUIRED, CANDIDATES WILL BE EXPECTED TO BE CONVERSANT WITH AMENDMENTS ISSUED UP TO THE DATE OF NOTIFICATION OF THIS EXAMINATION.

PAPER-I

One Essay of 400-500 words to be written on any of the several specified subjects.

PAPER-II

Candidates will be tested in simple composition, and applied grammar, knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience, general information about India.

3. The candidates are allowed the option to answer on paper-I and Paper-II either in English or Hindi.

Note 1. - The option will be for a complete paper and not for different question in the same paper.

Note 2. - Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid paper in Hindi (Devnagari) or in English should indicate clearly in the application form, otherwise, it would be presumed that they would answer the paper in English.

Note 3. - The option once exercised shall be treated as final and no request for change shall be entertained later on. No credit shall be given for examination taken in a language other than the one opted for by the candidate.

Note 4. - Candidates exercising the option to answer the paper in Hindi (Devanagari) may, if they so desire, give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

4. Penalty for wrong answers (in Objective Type Papers)

THERE WILL BE PENALTY (NEGATIVE MARKING) FOR WRONG ANSWERS MARKED BY A CANDIDATE IN THE OBJECTIVE QUESTION PAPERS:

(i) There are four alternatives for the answer to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, one fourth (0.25) of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.

(ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answers happens to be correct and there will be same penalty as above for that question.

(iii) If a question is left blank, i.e. no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question.

5. The minimum qualifying marks in each of the two subjects in Part I should be thirty-five per cent. and aggregate marks should be forty-five per cent.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Deduction up to five per cent. of the maximum marks in the descriptive paper will be made for illegible handwriting.

8. Credit shall be given for neat and methodical expression of ideas with due economy of words in the written answers.

9. The decision of the Ministry with regard to the acceptance of the application of a candidate and his eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.



10. Appearance of candidates in all the two papers is a must for qualifying in the examination.

Part-II

Evaluation of the records of service of the candidate by a Departmental Promotion Committee consisting of: -

1. Director (Personnel) or Deputy Secretary (Personnel) or Deputy Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Chairperson;
2. Under Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; and
3. One Under Secretary or equivalent to the Government of India from Ministry or Department or Organisation other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member.

This part shall carry a maximum of 60 marks. The Annual Performance Appraisal Reports of the candidates shall be scrutinised for the service period reckoned for promotion and marks will be accordingly allotted by the Department Promotion Committee. The minimum qualifying marks in the Annual Performance Appraisal Reports of each year during the residency period will not be lower than the benchmark prescribed for promotion to the post of Junior Secretariat Assistant.

[F. No. 01(05)/2024-P.III]  
BHUVNESH KUMAR, Addl. Secy.